सत्यमेव जयते

क्या आप जानतें हैं

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के तहत

१ ५ वर्ष पुरानें सभी जॉब कार्ड नवीकृत कियें जा रहें हैं . नवीकरण पूर्णतः निःशुल्क किया जायेगा . पुराने सभी जॉब कार्ड परिवार के पास ही रहेगा.
२. एक परिवार को एक ही जॉब कार्ड मिलेगा. आपका जॉब कार्ड व पास बुक आपके पास ही रहेगा.
३. आवेदानुसार आपके परिवार को १०० दिन का अकुशल शारीरिक श्रम का काम मिलेगा. काम केवलमात्र वयस्क महिला व पुरुष को मिलेगा.
४. काम के लियें आवेदन ४ क फॉर्म पर अथवा सादे कागज पर अपना नाम, जॉब कार्ड नंबर व कितने दिन काम चाहियें लिखकर ग्राम पंचायत में जमा करना हैं. हर आवेदक को ग्राम पंचायत तारीखयुक्त रसीद देगी.
५ आवेदानुसार १५ दिन में आपको अकुशल शारीरिक श्रम का काम मिलेगा.
६. प्रत्येक २५ अकुशल श्रमिको के कार्य की निगरानी हेतु ०१ सुपर्भईजोर की नियुक्ति होती हैं.
७. सुपर्भईजोर कार्यस्थल पर मस्टररोल प्रतिदिन लायेगा. इच्छानुसार श्रमिकगन मस्टररोल का परिक्षण कर सकते हैं.
८. जॉब कार्ड प्रतिदिन कार्यस्थल पर लाना आवश्यक हैं. कार्यस्थल पर सुपर्भईजोर आपके कार्य का लेखा - जोखा जॉब कार्ड में दर्ज करेगा.
९. शारीरिक रूप से अक्षम व वृद्ध आवेदकों को सहज व सरल कार्य आवेदानुसार दिया जायेगा.
१०. आपका पैसा ग्राम पंचायत आपके पोस्ट ऑफिस / बैंक एकाउंट में जमा कर देगा.
११. आपका मनरेगा एकाउंट, जो पोस्ट ऑफिस / बैंक में हैं, आपका अपना एकाउंट हैं. इसमें जमा राशि आपकी अपनी राशि हैं जो आप इच्छानुसार निकाल सकते हैं.
१२. अनुसूचित जाति / जनजाति, बी.पि.एल. उपभोक्ता, इंदिरा आवास योजना उपभोक्ता, भूमि सुधार उपभोक्ता, लघु व सीमांत किसान अपने व्यक्तिगत जमीन पर तलब, कुआँ जैसे कार्य, जमीन की उर्वरता बढ़ाने हेतु विभिन्न तरह के काम मनरेगा के अंतर्गत करवा सकता हैं.
१३. पिछले वर्ष यदि आपने मनरेगा में १५ दिन का काम किया हैं तो आप इस वर्ष राष्ट्रीय स्वस्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभ पा सकते हैं.
१४. आपके कार्य का मूल्यांकन आप स्वयं सामाजिक अंकेषण के माध्यम से कर सकते हैं.
१५. गाँव के हर वर्ग के लोगों का परामर्श मनरेगा की सफलता के लिए जरुरी हैं. संसद सभा व ग्राम सभा में भाग लिजियें.

सुझाव व शिकायत दर्ज कराने के लिए डायल कीजिये
१८००३४५३२१५ (टोल - फ्री)

प्रकल्प आधिकारिक, ______________________ ब्लाक
द्वारा जनहित में जारी